फा.सं. 6/36/2012-एफआई

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

तृतीय तल, जीवन दीप भवन,

संसद मार्ग, नई दिल्ली,

दिनांक: 11.01.2013

सेवा में,

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सभी एसएलबीसी के संयोजक

विषय: डीएलसीसी बैठक में सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे वित्तीय समावेशन प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के कार्यान्वयन आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले मार्गनिर्देशों/परिपत्रों का हवाला देने का निदेश हुआ है। ये मार्गनिर्देश/परिपत्र वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट http://financialservies.gov.in/vacany पर उपलब्ध हैं।

2. सभी एसएलबीसी संयोजकों से निवेदन है कि वे अपने राज्य से संबंधित सभी एलडीएम को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दें कि ये सभी मार्गनिर्देश/परिपत्र डीएलसीसी की बैठकों, जिसकी अध्यक्षता जिला क्लेक्टर द्वारा की जाती है, में प्रस्तुत किये जाएं और मार्गदर्शनों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु सभी संबंधित पदधारियों की जानकारी में इसे लाने के लिए डीएलसीसी की बैठकों के दौरान इन मार्गनिर्देशों/परिपत्रों के अंतर्वस्तु पर चर्चा की जाए। साथ ही यह भी निवेदन किया जाता है कि यदि डीएलसीसी बैठक में मार्गदर्शन/परिपत्र से संबंधित कोई प्रतिपुष्टि/सुझाव प्राप्त किये जाते हैं तो इस बारे में विभाग को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(संदीप कुमार)

निदेशक (एफआई)

ई मेल : fi-dfs@nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. पीएसबी के सभी अध्यक्ष/सीएमडी
2. एसएलबीसी के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग के नॉडल अधिकारी